रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2876] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2013/पौष 2, 1935
No. 2876] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2013/PAUSHA 2, 1935

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3794(अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (**19वाँ** संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,-

(i) नियम 114 में उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(4) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में उपनियम (1) में उल्लिखित आवेदन के साथ, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित प्ररूप में मय जाएगा और आवेदक की पहचान, पते और जन्म के सबूत के रूप में स्तंभ (4) में वर्णित दस्तावेज संलग्न होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	आवेदक	प्ररूप	पहचान तथा पते के सबूत के रूप में दस्तावेज
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	व्यष्टि, जो भारत का नागरिक है	49क	**(अ) पहचान का सबूत -** (i) निम्नलिखित की प्रति,–– (क) मतदाता पहचानपत्र ; या (ख) आवेदक के फोटो सहित राशन कार्ड ; या (ग) पासपोर्ट ; या (घ) चालन अनुज्ञप्ति ; या (ङ) आयुध अनुज्ञप्ति ; या (च) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड ; या (छ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र ; या (ज) आवेदक के फोटो सहित पेंशन भोगी कार्ड ; या (झ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम कार्ड या भूतपूर्व सैनिक अभिदायी स्वास्थ्य स्कीम फोटो कार्ड की प्रति ; या (ii) यथास्थिति, किसी संसद् सदस्य या विधान सभा के सदस्य या नगर निगम पार्षद् या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाण पत्र ; या (iii) आवेदक का सम्यक् रूप से सत्यापित फोटो और बैंक खाता संख्या सहित ब्रांच के पत्र शीर्ष पर बैंक का मूल प्रमाणपत्र (जारी करने वाले अधिकारी के नाम और मुहर सहित) टिप्पण - किसी व्यक्ति की दशा में जो अप्राप्तवय है, पूर्वोक्त में से ऐसे अप्राप्तवय के माता-पिता या अभिभावक का कोई दस्तावेज, पहचान का सबूत माना जाएगा । **(आ) पते का सबूत -** (i) तीन महीने से अनधिक पुराने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति - (क) बिजली का बिल ; या (ख) लैंडलाइन टेलीफोन या ब्राडबैंड कनेक्शन का बिल ; या (ग) पानी का बिल ; या (घ) उपभोक्ता गैस कनेक्शन कार्ड या पुस्तक या पाइप्ड गैस बिल ; या (ङ) बैंक खाता विवरणी या टिप्पण 1 के अनुसार ; या (च) निक्षेपागार खाता विवरणी ; या (छ) क्रेडिट कार्ड विवरणी ; या (ii) (क) आवेदक का पता सहित डाकघर पासबुक ; या (ख) पासपोर्ट ; या

			(ग) पति या पत्नी का पासपोर्ट ; या (घ) मतदाता पहचानपत्र ; या (ङ) संपत्ति कर का नवीनतम निर्धारण आदेश ; या (च) चालन अनुज्ञप्ति ; या (छ) सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र ; या (ज) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड ; या (झ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तीन वर्षों से अनधिक से जारी आवासन आबंटन पत्र ; या (ञ) संपत्ति रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज ; या (iii) यथास्थिति, किसी संसद् सदस्य या विधान सभा के सदस्य या नगर निगम पार्षद् या राजपत्र अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाण पत्र ; या (iv) मूल नियोक्ता प्रमाणपत्र । की प्रति । टिप्पण 1 : किसी भारतीय नागरिक के भारत से बाहर रहने की दशा में निवास के देश में बैंक खाता विवरण की प्रति या अनिवासी बाह्य बैंक खाता विवरणियों की प्रति । टिप्पण 2 : किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अप्राप्तवय है, पूर्वोक्त में से ऐसे अप्राप्तवय के माता-पिता या अभिभावक का कोई दस्तावेज, पते का सबूत माना जाएगा । **(इ) जन्म तिथि का सबूत -** (क) नगरपालिक प्राधिकरण या रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकृत कार्यालय या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में यथा परिभाषित भारतीय कौंसलेट द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र ; या (ख) पेंशन संदाय आदेश ; या (ग) विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र ; या (घ) मैट्रिकुलेशन का प्रमाणपत्र ; या (ङ) पासपोर्ट ; या (च) चालन अनुज्ञप्ति ; या (छ) सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र ; या (ज) जन्मतिथि अभिकथित करने वाला मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लिया हुआ शपथपत्र

2.	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	49क	(क) आवेदन की तारीख को सभी सहदायिकों के नाम, पिता का नाम और पते को दर्शाते हुए हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता का शपथपत्र ; और (ख) हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता के संबंध में, क्रम सं. 1 में विनिर्दिष्ट व्यष्टि की दशा में, पहचान, पते और जन्म तिथि के सबूत के रूप में लागू किसी दस्तावेज की प्रति ।
3.	भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनी	49क	कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति ।
4.	फर्म (जिसमें भारत में बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी भी है)	49क	(क) फर्मों/सीमित दायित्व भागीदारियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति ; या (ख) भागीदारी विलेख की प्रति ।
5.	भारत में बनाया गया या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यास)	49क	(क) न्यास विलेख की प्रति ; या (ख) पूर्त आयुक्त द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण संख्यांक प्रमाणपत्र की प्रति ।
6.	भारत में बनाया गया या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यासों से भिन्न या व्यष्टियों का निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति)	49क	(क) करार की प्रति ; या (ख) पूर्त आयुक्त या सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण संख्यांक प्रमाणपत्र की प्रति ; या (ग) केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग से जारी कोई अन्य दस्तावेज, जिसमें ऐसे व्यक्ति की पहचान या पता साबित होता हो ।
7.	व्यष्टि जो भारत का नागरिक नहीं हैं	49कक	(i) **पहचान का सबूत** :-- (क) पासपोर्ट की प्रति ; या (ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड की प्रति; या (ग) भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड की प्रति ; या (घ) "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो एक अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या जहां आवेदक अवस्थित है या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक के विदेशी शाखा के प्राधिकृत पदधारी, देश में, भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित अन्य राष्ट्रिक या नागरिकता पहचान संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक की प्रति । (ii) **पते का सबूत** :-- (क) पासपोर्ट की प्रति ; या (ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड की प्रति ; या (ग) भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड की प्रति ; या (घ) "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो हेग अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या जहां आवेदक अवस्थित है या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक के विदेशी शाखा के प्राधिकृत पदधारी, देश में, भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्यांक या करदाता पहचान संख्यांक की प्रति ; या (ङ) निवास के देश में बैंक खाता विवरणी की प्रति ; या (च) भारत में अनिवासी बाह्य बैंक खाता विवरणी की प्रति ; या (छ) भारत में निवास के प्रमाणपत्र या राज्य पुलिस प्राधिकारी द्वारा जारी निवासी परमिट की प्रति; या (ज) विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी भारतीय पता उपदर्शित करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति ; या (झ) प्रदान किए गए वीजा की प्रति और भारतीय कंपनी से नियुक्ति पत्र या

			संविदा की प्रति तथा नियोक्ता द्वारा जारी भारतीय पते (मूल प्रति) का प्रमाणपत्र ।
8.	भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी	49कक	(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक के विदेशी शाखा के प्राधिकृत पदधारी द्वारा जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः रूप से सत्यापित प्रति ; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
9.	भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत कंपनी	49कक	(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक के विदेशी शाखा के प्राधिकृत पदधारा द्वारा जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः रूप से सत्यापित प्रति ; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
10.	भारत से बाहर बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत फर्म	49कक	(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक के विदेशी शाखा के प्राधिकृत पदधारी द्वारा जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः रूप से सत्यापित प्रति ; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
11.	भारत से बाहर बनाया गया व्यक्तियों का संगम (न्यास)	49कक	(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक के विदेशी शाखा के प्राधिकृत पदधारी द्वारा जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः रूप से सत्यापित प्रति ; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
12.	भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यासों से भिन्न) या व्यष्टियों का निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति या कोई अन्य निकाय (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो)	49कक	(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक के विदेशी शाखा के प्राधिकृत पदधारा द्वारा जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः रूप से सत्यापित प्रति ; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।

(5) आय-कर महानिदेशक (तंत्र) ऊपर उपनियम (4) में आवेदन के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया और रीति, डेटा के सुरक्षित संचय और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्ररूप और मानक विहित करेगा और स्थायी लेखा संख्यांक के आबंटन के आवेदन प्ररूप देने के संबंध में उपयुक्त सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनःप्राप्ति नीतियों के सृजन और क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा ।"

(ii) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप संख्या 49क और प्ररूप संख्या 49कक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :--

केवल 'व्यष्टियों' को नवीनतम फोटो चिपकाना है (3.5 से.मी. X 2.5 से.मी)	**प्ररूप सं0 49क** **स्थायी खाता संख्या आबंटन के लिए आवेदन** **[भारतीय नागरिक/भारतीय कंपनी/भारत में निगमित उपक्रम/भारत में स्थापित अनिगमित उपक्रम के मामले में]** आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139अ के अधीन त्रुटि (त्रुटियों) से बचने के लिए प्ररूप भरने से पूर्व संलग्न अनुदेश और उदाहरण देखें				केवल 'व्यष्टियों' को नवीनतम फोटो चिपकाना है (3.5 से.मी. X 2.5 से.मी)
	निर्धारण अधिकारी (एओ कोड)				
फोटो पर हस्ताक्षर/बांए अंगूठे का निशान	**क्षेत्र कोड**	**एओ टाईप**	**रेंज कोड**	**एओ सं0**	हस्ताक्षर/बांए अंगूठे का निशान

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें स्थायी लेखा संख्या आबंटित की जाए ।
मैं/हम आवश्यक विशिष्टियां नीचे दे रहा हूं/रहे हैं :

1 पूरा नाम (पहचान जन्म तारीख/पते के सबूत वाले दस्तावेजों में लिखे अनुसार पूरा नाम वर्णित किया जाना है : संक्षिप्त नाम अनुज्ञात नहीं है)

कृपया चुने ☐ यथा लागू ☐ श्री ☐ श्रीमती ☐ कुमारी ☐ मैसर्स

अंतिम नाम/उपनाम

प्रथम नाम

मध्य नाम

2. उपरोक्त नाम का संक्षिप्त अक्षर, जैसा कि आप स्थायी खाता संख्या कार्ड पर मुद्रित कराना चाहें

3. क्या आप कभी किसी अन्य नाम से जाने गए हैं ? ☐ हां ☐ नहीं (जो लागू हों निशान लगाएं)

यदि हां, कृपया वह नाम दें

कृपया चुने ☐ यथा लागू ☐ श्री ☐ श्रीमती ☐ कुमारी ☐ मैसर्स

अंतिम नाम/उपनाम

मध्य नाम

प्रथम नाम

4. लिंग (केवल व्यष्टि आवेदकों के लिए) ☐ **पुरुष** ☐ **स्त्री** **(जो लागू हों निशान ागाएं)**

5. जन्म/व्यष्टि निकाय या व्यक्तियों के संगम के निगमन/करार/भागीदारी या न्यास विलेख/गठन की तारीख

दिन मास वर्ष

6. पिता का नाम (केवल व्यष्टि आवेदक के लिए : विवाहित स्त्रियों को भी केवल पिता का नाम देना चाहिए)

अंतिम नाम/उपनाम

प्रथम नाम

मध्य नाम

7 पता
निवास का पता

फ्लैट/कक्ष/द्वार/ब्लाक सं0

परिसर भवन/ग्राम का नाम

मार्ग/सड़क/गली/डाकघर

क्षेत्र/स्थान/तालुक/उप-खंड

नगर/शहर/जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पिनकोड/जिप कोड देश का नाम

कार्यालय का पता

कार्यालय का नाम

फ्लैट/कक्ष/द्वार/ब्लाक सं0

परिसर भवन/ग्राम का नाम

मार्ग/सड़क/गली/डाकघर

क्षेत्र/स्थान/तालुक/उप-प्रभाग

नगर/शहर/जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पिनकोड/जिप कोड देश का नाम

8 संसूचना के लिए पता निवास कार्यालय (जो लागू हों निशान लगाएं)

9 दूरभाष संख्या और ई मेल आईडी का ब्यौरा

देश कोड एसटीडी कोड दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या

ई-मेल पता

10 आवेदक की प्रास्थिति

कृपया प्रास्थिति चुने ☐ यथा लागू ☐ सरकारी

☐ व्यष्टि ☐ हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब ☐ कंपनी ☐ भागीदारी फर्म ☐ व्यक्तियों का संगम

न्यास ☐ व्यष्टियों का निकाय ☐ स्थानीय प्राधिकारी ☐ कृत्रिम विधिक व्यक्ति ☐
सीमित दायित्व भागीदारी

11 रजिस्ट्रीकरण संख्या (कंपनी, फर्म एलएलपी आदि के लिए)

12 क्या भारत का नागरिक है ?
कृपया अपनी आधार संख्या वर्णित करें (यदि आबंटित हुआ है)

13 आय का स्रोत कृपया प्रास्थिति चुनें ☐ जो लागू हों

☐ आय ☐ पूंजि अभिलाभ
☐ व्यवसाय/कारबार से आय ☐ कारबार/व्यवसाय कोड ☐ (कोड के लिए अनुदेश देखें) ☐ अन्य स्रोतों से आय
☐ गृह संपत्ति से आय ☐ काई आय नहीं

14 प्रतिनिधिक निर्धारिती (आरए)

प्रतिनिधिक निर्धारिती का पूरा नाम, पता जो उस व्यक्ति के संबंध में आय-कर अधिनियम के अधीन निर्धारणीय हैं जिसकी विशिष्टियां स्तंभ 1-13 में दी गई हैं ।

पूरा नाम (पूरा नाम संक्षिप्त नाम अनुज्ञात नहीं)
कृपया चुनें ☐ जो लागू हों ☐ श्री ☐ श्रीमती ☐ कुमारी ☐ मैसर्स

अंतिम नाम/उपनाम	
प्रथम नाम	
मध्य नाम	

पता

फ्लैट/कक्ष/द्वार /ब्लाक सं0	
परिसर/भवन/ग्राम का नाम	
मार्ग/सड़क/गली/डाकघर	
क्षेत्र/स्थान/तालुक/उप-प्रभाग	
नगर/शहर/जिला	

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिनकोड

15 पहचान के सबूत (पीओआई) तथा पते के सबूत (पीओए) और जन्म तारीख का सबूत के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज

मैंने/हमने	को पहचान के साक्ष्य तथा	को पते के साक्ष्य के रूप में संलग्न कर दिया है

[कृपया लागू होने वाले प्रस्तुत बाध्यकारी प्रमाणित दस्तावेजों की सूची के लिए अनुदेशों (जो आईटी नियम 1962 के नियम 114 में विनिर्दिष्ट है]
[जहां लागू हो, वहां उपाबंध क, उपाबंध ख और उपाबंध ग का प्रयोग किया जाए]

16 मैं/हम , आवेदक की हैसियत से यह घोषणा करता हूं कि ऊपर किए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं

स्थान		
तारीख		आवेदक के हस्ताक्षर/ बांए अंगूठे का निशान (बाक्स के भीतर)

केवल 'व्यष्टियों' को नवीनतम फोटो चिपकाना है (3.5 से.मी. X 2.5 से.मी)	**प्ररूप सं0 49कक** **स्थायी खाता संख्या आबंटन के लिए आवेदन** **[व्यष्टि जो भारत के नागरिक/भारत के बाहर निगमित उपक्रम/अनिगमित उपक्रम जो भारत के बाहर स्थापित नहीं है]** आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139अ के अधीन त्रुटि (त्रुटियों) से बचने के लिए प्ररूप भरने से पूर्व संलग्न अनुदेश और उदाहरण देखें				केवल 'व्यष्टियों' को नवीनतम फोटो चिपकाना है (3.5 से.मी. X 2.5 से.मी)
	निर्धारण अधिकारी (एओ कोड)				
फोटो पर हस्ताक्षर/बांए अंगूठे का निशान	**क्षेत्र कोड**	**एओ टाईप**	**रेंज कोड**	**एओ सं0**	हस्ताक्षर/बांए अंगूठे का निशान

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें स्थायी लेखा संख्या आबंटित की जाए ।
मैं/हम नीचे आवश्यक विशिष्टियां दे रहा हूं/रहे हैं :

1 पूरा नाम (पहचान/पते के सबूत वाले दस्तावेजों में लिखे अनुसार पूरा नाम वर्णित किया जाना है : संक्षिप्त नाम अनुज्ञात नहीं है)

कृपया चुनें ☐ यथा लागू ☐ श्री ☐ श्रीमती ☐ कुमारी ☐ मैसर्स

अंतिम नाम/उपनाम	
प्रथम नाम	
मध्य नाम	

2. उपरोक्त नाम का संक्षिप्त अक्षर, जैसा कि आप स्थायी खात संख्या कार्ड पर मुद्रित कराना चाहे

3 क्या आप कभी किसी अन्य नाम से जाने गए हैं ? ☐ हां ☐ नहीं ☐ (जो लागू हो निशान लगाएं)
यदि हां, कृपया वह नाम दें
कृपया चुने ☐ यथा लागू ☐ श्री ☐ श्रीमती ☐ कुमारी ☐ मैसर्स

अंतिम नाम/उपनाम	
प्रथम नाम	
मध्य नाम	

4 लिंग (केवल व्यष्टि आवेदकों के लिए) ☐ पुरुष ☐ स्त्री (जो लागू हो निशान लगाएं)

5 जन्म/व्यष्टि निकाय या व्यक्तियों के संगम के निगमन/करार/भागीदारी या न्यास विलेख/गठन की तारीख

दिन	मास	वर्ष

6. पिता का नाम (केवल व्यष्टि आवेदक : विवाहित स्त्रियों को भी केवल पिता का नाम देना चाहिए)

अंतिम नाम/उपनाम	
प्रथम नाम	
मध्य नाम	

7 पता

निवास का पता

फ्लैट/कक्ष/द्वार/ब्लाक सं0

परिसर/भवन/ग्राम का नाम

मार्ग/सड़क/गली/डाकघर

क्षेत्र/स्थान/तालुक/उप-प्रभाग

नगर/शहर/जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पिनकोड/जिप कोड देश का नाम

कार्यालय का पता

कार्यालय का नाम

फ्लैट/कक्ष/द्वार/ब्लाक सं0

परिसर भवन/ग्राम का नाम

मार्ग/सड़क/गली/डाकघर

क्षेत्र/स्थान/तालुक/उप-प्रभाग

नगर/शहर/जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पिनकोड/जिप कोड देश का नाम

8 संसूचना के लिए पता ☐ निवास ☐ कार्यालय (जो लागू हो निशान लगाएं)

9 दूरभाष संख्या और ई मेल आईडी का ब्यौरा

देश कोड एसटीडी कोड दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या

ई-मेल आईडी

10 आवेदक की प्रास्थिति

कृपया प्रास्थिति चुने ☐ जैसा लागू हो ☐ सरकारी

☐ व्यष्टि ☐ हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब ☐ कंपनी ☐ भागीदारी फर्म ☐ व्यक्तियों का संगम

☐ न्यास ☐ व्यष्टियों का निकाय ☐ स्थानीय प्राधिकारी ..... कृत्रिम विधिक व्यक्ति ...... सीमित दायित्व भागीदारी

11 रजिस्ट्रीकरण संख्या (कंपनी, फर्म आदि के लिए)

12 नागरिकता का देश ....नागरिकता के देश का आईएसडी कोड

13 आय का स्रोत कृपया प्रास्थिति चुनें जो लागू हों

...........वेतन .... पूंजि अभिलाभ

.........व्यवसाय/कारबार से आय .... कारबार/व्यवसाय .... कोड के लिए अनुदेश देखें .... अन्य स्रोतों से आय

..........गृह संपत्ति से आय .... काई आय नहीं

14 भारत में आवेदक का प्रतिनिधि या अभिकर्ता

प्रतिनिधिक निर्धारिती का पूरा नाम, पता

पूरा नाम (पूरा नाम संक्षिप्त नाम अनुज्ञात नहीं)

कृपया चुनें ☐ यथा लागू ☐ श्री ☐ श्रीमती ☐ कुमारी ☐ मैसर्स

अंतिम नाम/उपनाम																								
प्रथम नाम																								
मध्य नाम																								

पता

फ्लैट/कक्ष/द्वार/ब्लाक सं0																								
परिसर भवन/ग्राम का नाम																								
मार्ग/स्ट्रीट/ गली/डाकघर																								
क्षेत्र/स्थान/तालुक/उप-प्रभाग																								
नगर/शहर/जिला																								

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिनकोड					

15 पहचान के सबूत (पीओआई) तथा पते के सबूत (पीओए) के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज

मैंने/हमने	को पहचान के साक्ष्य तथा को पते के साक्ष्य तथा को अनिवार्य प्रमाणित दस्तावेजों के रूप में संलग्न कर दिया है

[कृपया लागू होने वाले प्रस्तुत बाध्यकारी प्रमाणित दस्तावेजों की सूची के लिए अनुदेशों (जो आईटी नियम 1962 के नियम 114 में विनिर्दिष्ट है]

(जहां लागू होने वहां उपाबंध 1का प्रयोग किया जाए)

16 केवाईसी विवरण* [भारतीय प्रतिभूति और विनिमय द्वारा जारी विनियमों के अधीन विहित, विदेशी संस्थागत निवेशक या अर्हित विदेशी निवेशक द्वारा भरा जाए]

[भा.प्र.वि.बा. (शेयरों का भौतिक अर्जन और ग्रहण) विनियम, 1997 में यथापरिभाषित "नियंत्रण" ।

"फायदाग्राही स्वामी" जैसा कि धन शोधन निरोध पर बने हुए दिनांक 31 दिसंबर, 2010 के सेबी के परिपत्र के पैरा 5.1 में परिभाषित है ।

(क) केवल व्यष्टियों की दशा में (जो लागू हो निशान लगाएं)

वैवाहिक स्थिति..........अविवाहित .... विवाहित .... तलाकशुदा .... विधवा/विधुर

नागरिकता की स्थिति .... विदेशी .... भारतीय मूल का व्यक्ति..............अप्रवासी भारतीय नागरिक

विदेशी होने की दशा में, जिस देश की नागरिकता है...

व्यवसाय के ब्यौरे ....निजी क्षेत्र सेवा ....सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी सेवा......व्यवसाय .... वृत्तिक

............कृषिविज्ञानी ....सेवानिवृत्त ....गृहणी ....छात्र ....अन्य

(ख) गैर व्यष्टियों की दशा में (जो लागू हो निशान लगाएं)

( ) निजी कंपनी ( ) पब्लिक कंपनी ( ) कारपोरेट निकाय ( ) वित्तीय संस्था

( ) गैर सरकारी संगठन ( ) पूर्त संगठन

(ग) सकल वार्षिक आय-भारतीय रुपये में	
कुल मूल्य (दायित्वों को घटाकर आस्तियां) भारतीय रुपये में	

(घ) पब्लिक कंपनी के मामले में, क्या वह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है हां नहीं (जो लागू हो निशान लगाएं)
यदि हां, तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम इंगित करें ....

(ङ) गैर व्यष्टियों की दशा में
क्या उसमें कुछ या एक ही परिवार के सदस्य हिताधिकार स्वामित्व और नियंत्रण रखते है ।
हां नहीं (जो लागू हो निशान लगाएं)

[“**नियंत्रण**” नियंत्रण के अंतर्गत निदेशकों की बहुसंख्या को नियुक्त करने का अधिकार या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, या प्रबंधन अधिकार या शेयर धारक करार या मत देने का करार या कोई अन्य रीति के कारण, व्यष्टिक रूप से या मिलकर कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोक्तत्य प्रबंधन या नीति विनिश्चयों का नियंत्रण है]

“**फायदाग्राही स्वामी**” से ऐसा प्राकृतिक व्यक्ति अभिप्रेत हे, जो आवेदक और या उस व्यक्ति जिसके निमित्त संव्यवहार किया जा रहा है, का अंतिम रूप से स्वामित्व नियंत्रण रखता है, और जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जो किसी विधिक व्यक्ति पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण प्रयोग करता है]

(च) क्या अस्तित्व निम्नलिखित में से किन्ही सेवाओं से जुड़ा है/सेवाएं प्रदान कर रहा है (जो लागू हो निशान लगाएं)

विदेशी विनिमय, मनी चेंजर सेवाएं हां नहीं

गेमिंग/जुआ/लाटरी सेवांएं (केसीनो और बेटिंग सिंडीकेट) हां नहीं

धन उधार देना, गिरवी रखना हां नहीं

(छ) क्या आप या आपके प्राधिकृत हस्ताक्षरी/न्यासी/पदधारी निम्नलिखित हैं :

राजनैतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति हां नहीं
राजनैतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों से संबंधित हां नहीं
(राजनैतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों की परिभाषा के लिए पीएमएलए द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश देखें)

(ज) निवास के देश में करदाता पहचान संख्यांक

17 मैं/हम , आवेदक की हैसियत से यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर किए गए कथन मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं

मैं/हम क्र0 सं0 13 में दिए गए मेरे/हमारे प्रतिनिधि को मेरी/हमारी ओर से स्थायी लेखा संख्यांक प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं

स्थान									
तारीख									आवेदक के हस्ताक्षर/बांए अंगूठे का निशान (बाक्स के भीतर)

उपाबंध-क *(प्ररूप 49क के लिए)*

[आय-कर नियम, 1962 के नियम 114 के उपनियम (4) के अधीन संसद् सदस्य/विधान सभा सदस्य/नगरपालिक पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रमाणपत्र]

(वही छायाचित्र चिपकाएं जैसा स्थायी लेखा संख्यांक आवेदन प्ररूप पर चिपकाया है)

(आधे छायाचित्र पर तथा आधे प्रमाणपत्र पर करते हुए जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर और रबर की मुहर सहित अधिप्रमाणन के लिए)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री ....

को जानता हूँ और नीचे दी गई उनकी व्यक्तिगत विशिष्टियां मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं । मैं उन्हें आय-कर विभाग द्वारा स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) कार्ड जारी करने की सिफारिश करता/करती हूँ ।

नाम	
पिता का नाम (विवाहत महिलाओं के मामले में भी पिता का नाम दिया जाए)	
जन्म की तारीख	
निवास का पता (यदि आवेदक ने पिछले एक वर्ष के दौरान एक से अधिक स्थानों पर निवास किया है तो तारीख के साथ ऐसे सभी पते वर्णित किए जाने चाहिए)	
कार्यालय का पता	
पूर्व नाम (नाम में परिवर्तन की दशा में)	

प्रमाणपत्र जारीकर्ता के बयौरे

(हस्ताक्षर)

अवस्थिति के साथ कार्यालय का पता

पूरा नाम :

पदनाम :

कार्यालय की मुहर

विभाग/संगठन/निर्वाचन क्षेत्र :

पहचान पत्र सं0 :

(पहचान पत्र की एक छायाप्रति संलग्न करें)

तारीख :

स्थान :

दूरभाष :

मोबाईल :

उपाबंध-ख *(प्ररूप 49कक के लिए)*

[आय-कर नियम, 1962 के नियम 114 के उपनियम (4) के अधीन संगठन/संस्था के शीर्षनामा पर नियोजक द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रमाणपत्र]

(वही छायाचित्र चिपकाएँ जैसा स्थायी लेखा संख्यांक आवेदन प्ररूप पर चिपकाया है)

(आधे छायाचित्र पर तथा आधे प्रमाणपत्र पर करते हुए जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर और रबर की मुहर सहित अधिप्रमाणन के लिए)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री.................. हमारे यहां...................... से नियोजित हैं/वह वर्तमान में संगठन के निम्नलिखित पते पर कार्य कर रहे/रही हैं :--

कार्यालय का पता...............................

....

....

हमारे द्वारा सत्यापित आवेदक के निवास का पता निम्नलिखित है :

निवास का पता...

....

....

कंपनी/संस्था आदि का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक...

कंपनी/संस्था का स्थायी लेखा संख्यांक :

प्रमाणपत्र जारीकर्ता व्यष्टिक के ब्यौरे

पूरा नाम :

पदनाम :

व्यष्टि का स्थायी लेखा संख्यांक :

अवस्थिति के साथ कार्यालय का पता :

दूरभाष : (हस्ताक्षर)

मोबाईल : कार्यालय की मुहर

तारीख :

स्थान :

<u>उपाबंध-ग *(प्ररूप 49कक के लिए)*</u>

[आय-कर नियम, 1962 के नियम 114 के उपनियम (4) के अधीन बैंक के शीर्षनामा पर बैंक द्वारा पहचान का प्रमाणपत्र]

(वही छायाचित्र चिपकाएें जैसा स्थायी लेखा संख्यांक आवेदन प्ररूप पर चिपकाया है)

(आधे छायाचित्र पर तथा आधे प्रमाणपत्र पर करते हुए जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर और रबर की मुहर सहित अधिप्रमाणन के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पुत्री ...., जिसका छायाचित्र ऊपर सत्यापित है, बैंक की इस शाखा में खाता धारक है जिसका खाता संख्यांक ....है ।

प्रमाणपत्र जारीकर्ता व्यष्टिक के ब्यौरे

पूरा नाम :

पदनाम :

व्यष्टि का स्थायी लेखा संख्यांक :

अवस्थिति के साथ कार्यालय का पता :

दूरभाष : (हस्ताक्षर)

मोबाईल : कार्यालय की मुहर

तारीख :

स्थान :

उपाबंध-1 *(प्ररूप 49कक के लिए)*

[आय-कर नियम, 1962 के नियम 114 के उपनियम (4) के अधीन प्ररूप 49कक भरने वाले भारत के नागरिक न होने वाले व्यष्टिकों और भारत से बाहर निगमित अस्तित्वों की दशा में प्रमाणीकरण]

यह दस्तावेज............(दस्तावेज का प्रकार) ....की हैसियत में कृत्य करने वाले.........................(प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम) ....(स्थान) पर .... (तारीख) को प्रमाणीकृत किया गया है ।

कार्यालय की मुहर............................हस्ताक्षर

भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक की विदेशी बैंक शाखा का पूरा नाम, पता और दूरभाष संख्या.................. ....

[अधिसूचना सं0 96/2013/फा0सं0142/15/2013-टीपीएल]
आशीष मोहंती, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या का.आ.969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और उनका अंतिम संशोधन आय-कर (18**वाँ** संशोधन) नियम, 2013 द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 2900(अ) तारीख 24/09/2013 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2013

S.O. 3794(E).- In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income –tax (19th Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(i) in rule 114, for sub- rule (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(4) The application, referred to in sub-rule (1) in respect of an applicant mentioned in column (2) of the Table below, shall be filled in the Form mentioned in column (3) of the said table, and shall be accompanied by the documents mentioned in column (4) thereof, as proof of identity, address and date of birth of such applicant:

TABLE

Sl. No.	Applicant	Form	Documents as proof of identity, address and date of birth
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Individual who is a citizen of India	49A	**(A) Proof of identity—** **(i) Copy of,—** (a) elector's photo identity card ; or (b) ration card having photograph of the applicant; or (c) passport; or (d) driving licence; or (e) arm's license; or (f) AADHAR Card issued by the Unique Identification Authority of India; or (g) photo identity card issued by the Central Government or a State Government or a Public Sector Undertaking; or (h) Pensioner Card having photograph of the applicant; or (i) Central Government Health Scheme Card or Ex-servicemen Contributory Health Scheme photo card; or (ii) certificate of identity in original signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councillor or a Gazetted Officer, as the case may be; or (iii) bank certificate in original on letter head from the branch (along with name and stamp of the issuing officer) containing duly attested photograph and bank account number of the applicant. **Note:** In case of a person being a minor, any of the above documents of any of the parents or guardian of such minor shall be deemed to be the proof of identity. **(B) Proof of address—** **(i) copy of the following documents of not more than three months old —** (a) electricity bill; or (b) landline telephone or broadband connection bill; or (c) water bill; or (d) consumer gas connection card or book or piped gas bill; or (e) bank account statement or as per Note 1; or (f) depository account statement ; or (g) credit card statement; or **(ii) copy of,—** (a) post office pass book having address of the applicant; or (b) passport; or (c) passport of the spouse; or (d) elector's photo identity card; or (e) latest property tax assessment order; or (f) driving licence; or

			(g) domicile certificate issued by the Government; or (h) AADHAR Card issued by the Unique Identification Authority of India; or (p) allotment letter of accommodation issued by the Central Government or State Government of not more than three years old; or (q) property registration document; or **(iii)** certificate of address signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councillor or a Gazetted Officer, as the case may be; or **(iv)** employer certificate in original. **Note 1.** In case of an Indian citizen residing outside India, copy of Bank Account Statement in country of residence or copy of Non-resident External bank account statements shall be the proof of address. **Note 2:** In case of a minor, any of the above documents of any of the parents or guardian of such minor shall be deemed to be the proof of address. **(C) Proof of date of birth ─** **copy of,─** (a) birth certificate issued by the Municipal Authority or any office authorised to issue Birth and Death Certificate by the Registrar of Birth and Deaths or the Indian Consulate as defined in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955); or (b) pension payment order; or (c) marriage certificate issued by Registrar of Marriages; or (d) matriculation certificate; or (e) passport; or (f) driving licence; or (g) domicile certificate issued by the Government; or (h) affidavit sworn before a magistrate stating the date of birth.
2.	Hindu undivided family	49A	(a) An affidavit by the karta of the Hindu Undivided Family stating the name, father's name and address of all the coparceners on the date of application; and (b) copy of any document applicable in the case of an individual specified in serial number 1, in respect of karta of the Hindu undivided family, as proof of identity, address and date of birth.
3.	Company registered in India	49A	Copy of Certificate of Registration issued by the Registrar of Companies.
4.	Firm (including Limited Liability Partnership) formed or registered in India	49A	(a) Copy of Certificate of Registration issued by the Registrar of Firms/Limited Liability Partnerships; or (b) copy of Partnership Deed.
5.	Association of persons (Trusts) formed or registered in India	49A	(a) Copy of trust deed; or (b) copy of Certificate of Registration Number issued by Charity Commissioner.

6.	Association of persons (other than Trusts) or body of individuals or local authority or artificial juridical person formed or registered in India	49A	(a) Copy of Agreement; or (b) copy of Certificate of Registration Number issued by Charity Commissioner or Registrar of Co-operative Society or any other Competent Authority; or (c) any other document originating from any Central Government or State Government Department establishing Identity and address of such person.
7.	Individuals not being a citizen of India	49AA	**(i) Proof of identity :—** (a) copy of Passport; or (b) copy of person of Indian Origin card issued by the Government of India; or (c) copy of Overseas Citizenship of India Card issued by Government of India; or (d) copy of other national or citizenship Identification Number or Taxpayer Identification Number duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India. **(ii) Proof of address:—** (a) copy of Passport; or (b) copy of person of Indian Origin card issued by the Government of India; or (c) copy of Overseas Citizenship of India Card issued by Government of India; or (d) copy of other national or citizenship Identification Number or Taxpayer Identification Number duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India; or (e) copy of bank account statement in the country of residence; or (f) copy of Non-resident External bank account statement in India; or (g) copy of certificate of residence in India or Residential permit issued by the State Police Authority; or (h) copy of the registration certificate issued by the Foreigner's Registration Office showing Indian address; or (i) copy of Visa granted and copy of appointment letter or contract from Indian Company and Certificate (in original) of Indian Address issued by the employer.
8.	LLP registered outside India	49AA	(a) Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India; or (b) copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.

9.	Company registered outside India	49AA	(a) Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India; or (b) copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.
10.	Firm formed or registered outside India	49AA	(a) Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India; or (b) copy of registration certificate issued in India ; or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.
11.	Association of persons (Trusts) formed outside India	49AA	(a) Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India; or (b) copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.
12.	Association of persons (other than Trusts) or body of individuals or local authority or person formed or any other entity (by whatever name called) registered outside India	49AA	(a) Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India; or (b) copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.]

(5) The Director-General of Income-tax (Systems) shall specify the procedure and manner for the verification of documents filed along with the application in sub-rule (4) above, the formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing of the application forms for allotment of permanent account number.”

(ii) in Appendix II, for Form No. 49A and Form No. 49AA, the following Forms shall be substituted, namely:-

Annexure -A ***(for form 49A)***

(Certificate to be used by a Member of Parliament/Member of Legislative Assembly/Municipal Councillor or Gazetted Officer under sub-rule (4) of rule 114 of the Income-tax Rules, 1962)

(Affix same photograph as affixed on PAN application form

(To be attested by issuing authority with his/her signature & rubber stamp appearing half on the photograph and half on the certificate)

I hereby certify that I know Sh./Smt/Kum… ………………………………. son/daughter of …………………… and his/her personal particulars as given below are correct to the best of my knowledge and belief. I recommend issue of PAN card by the Income-tax Department to him/her.

Name	
Father's Name **(even in case of married ladies father's name is to be provided)**	
Date of Birth	
Residence Address **(if applicant has resided at more than one place during last one year then all such address with dates should be mentioned)**	
Office Address	
Previous Name **(in case of change in name)**	

Details of issuer of certificate

Office address with location

Office Seal

Date :

Place:

(Signature)

Full Name:

Designation:

Department/Organisation/Constituency:

Identity Card No:

(Enclose a photocopy of I-card)

Telephone:

Mobile:

Annexure -B *(for form 49A)*

(Certificate to be used by the Employer on the letter head of the organisation/institution under sub-rule (4) of rule 114 of the Income-tax Rules, 1962)

(Affix same photograph as affixed on PAN application form)

(To be attested by issuing authority with his/her signature & rubber stamp appearing half on the photograph and half on the certificate)

It is hereby certified that Sh./Smt/Kum… ………………………………. son/daughter of …… ………………… is employed with us since ……. . He/She is presently working at the following address of the organisation:—

Office Address ……………………

……………………………………

……………………………………

The residential address of the applicant as verified by us is given below:

Residential Address …………………………………..

………………………………………………………….

…………………………………………………………

Registration Number of the Company/Institution etc……………………………………….

PAN of the Company/Institution:

Details of the Individual issuing the certificate

Full Name:

Designation:

PAN of the Individual:

Office address with location:

Telephone: (Signature)

Mobile: Office Seal

Date:

Place:

Annexure -C ***(for form 49A)***

(Certificate of identification by Bank on the letter head of the bank under sub-rule (4) of rule 114 of the Income-tax Rules, 1962)

(Affix same photograph as affixed on PAN application form)

This is to certify that Sh./Smt/Kum… ………………………………. son/daughter of …… ………………………... whose photograph is attested above is holding an account having account number ……… with this branch of the bank.

(To be attested by issuing authority with his/her signature & rubber stamp appearing half on the photograph and half on the certificate)

Details of the Individual issuing the certificate

Full Name:

Designation:

PAN of the Individual:

Office address with location:

Telephone: (Signature)

Mobile: Office Seal

Date:

Place:

Annexure-1 ***(for form 49AA)***

(Certification under sub-rule (4) of rule 114 of the Income-tax Rules, 1962 in case of individuals not being a Citizen of India & entities incorporated outside India filling form 49AA)

This document __________________________ **(type of document)** has been certified by __________________________ **(name of certifying person)** acting in the capacity of ____at __________________ (place) on ______________ (date).

Official Seal ________________ Signature

Full Name, Address and Telephone number of the Overseas Bank Branch of Scheduled Bank registered in India ____

[Notification No. 96/2013/F.No.142/15/2013-TPL]

ASHIS MOHANTY,Under Secy.

Note: - The principal rules were published vide Notification S.O. 969 (E), dated 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (18th Amendment) Rules, 2013 vide Notification S.O. 2900 (E), dated the 24th September, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.